Crim. Misc Case No. 12 of 2026 CNR No. UPJP010006792026 Pinki Vs Santosh

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम, जौनपुर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–12/2026
(पंजीकरण सं0–42/2026)
पिंकी सरोज––––––––––बनाम–––––––संतोष सिंह एवं अन्य।

दिनांक–03.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत। बार–बार पुकार कराई गई एवं इंतजार किया गया। इंतजार के बावजूद भी आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, और कार्यवाही स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदिका पूर्व तिथियों पर भी अनुपस्थित रही है। पूर्व में आवेदिका को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। आवेदिका के निरन्तर अनुपस्थित रहने से यह प्रतीत होता है कि आवेदिका वर्तमान प्रकरण में कोई रूचि नहीं ले रही है और प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहती है। प्रकरण प्राचीन है, अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका पिंकी सरोज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भा0ना0सु0सं0 निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0कोड–6509

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.04.03 16:27:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court